



हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय

न्यू सेन्ट्रल होप टाउन, बायॉखाला, शीशमबाड़ा देहरादून,
पिन- 248011 उत्तराखण्ड, भारत

वेबसाइट: www.hnbumu.ac.in

नीट यू0जी0, 2026 उत्तराखण्ड राज्य केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग के तृतीय चरण हेतु महत्वपूर्ण निर्देश एवं नियम व शर्तें

1. तृतीय चरण की काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु अर्हता

नीट यू0जी0 2026 उत्तराखण्ड राज्य केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग की तृतीय चरण काउन्सिलिंग में निम्न अभ्यर्थी प्रतिभाग कर सकते हैं:-

1. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम/द्वितीय चरण काउन्सिलिंग में पंजीकरण **न** कराया हो और तृतीय चरण में सीट आवंटन हेतु प्रतिभाग करना चाहते हों।
2. प्रथम चरण/द्वितीय चरण में पंजीकृत ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम चरण की काउन्सिलिंग में कोई भी सीट आवंटित नहीं हुयी हो।
3. ऐसे पंजीकृत अभ्यर्थी जिन्होंने बोर्ड द्वारा प्रथम/द्वितीय चरण में आवंटित सीट पर निर्धारित समयान्तर्गत FLOAT का विकल्प चयनित किया हो और तृतीय चरण में सीट अपग्रेडेशन हेतु प्रतिभाग कराना चाहते हो।
4. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने बोर्ड द्वारा प्रथम/द्वितीय चरण में आवंटित सीट पर निर्धारित समयान्तर्गत **FLOAT/ FREEZE** का चयन न किया हो और तृतीय चरण में सीट आवंटन हेतु प्रतिभाग करना चाहते हो
5. ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा प्रथम में FREEZE/FLOAT का विकल्प चयन किया हो एवं निर्धारित समयान्तर्गत अपनी सीट को छोड़ दी है और तृतीय चरण काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करना चाहते हो।

2. तृतीय चरण में प्रतिभाग करने हेतु निम्न छात्र अर्ह नहीं होंगे:-

1. जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रथम/द्वितीय चरण काउन्सिलिंग के माध्यम से **FREEZE** विकल्प का चयन कर संस्थान में निर्धारित समयान्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर अपना प्रवेश सुरक्षित करा लिया गया है।
2. जिन अभ्यर्थियों द्वारा एम0सी0सी0 भारत सरकार द्वारा आयोजित तृतीय चरण तक की काउन्सिलिंग के माध्यम से आवंटित सीट पर निर्धारित समयान्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर अपना प्रवेश सुरक्षित करा लिया गया है।

3. आवेदन प्रक्रिया (केवल ऑन-लाईन आधार पर)

1. तृतीय चरण की काउन्सिलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग करने हेतु पंजीकरण धनराशि एवं धरोहर धनराशि **केवल आन-लाईन प्रणाली** (Credit/Debit Card/Net banking) के माध्यम से ही जमा की जायेगी। जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व के काउन्सिलिंग चरणों में पंजीकरण करवाया जा चुका है भी तृतीय काउन्सिलिंग चरण में प्रतिभाग करने हेतु अर्ह है।
2. जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रथम/द्वितीय चरण काउन्सिलिंग में पंजीकरण शुल्क तथा धरोहर राशि दोनों जमा की गई है, यदि वो तृतीय चरण काउन्सिलिंग में प्रतिभाग कराना चाहते हैं तो उन्हें विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.hnbumu.ac.in पर जाकर पंजीकृत आई-डी के माध्यम से आन-लाईन आवेदन कर नवीन च्वाईस फिलिंग करनी **अनिवार्य** होगी, ऐसे अभ्यर्थियों को दोबारा पंजीकरण शुल्क तथा धरोहर राशि जमा **नहीं** करनी होगी।
3. जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रथम/द्वितीय चरण काउन्सिलिंग में धरोहर राशि जमा की गई हो तथा वे यदि पूर्व में चयनित किये गये कोटे (स्टेट कोटा/ऑल इण्डिया ओपन कोटा) के विकल्प में परिवर्तन करते

हुये तृतीय चरण काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करना चाहते हो, तो इस हेतु उन्हें विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.hnbmu.ac.in पर जाकर स्वयं को तृतीय चरण काउन्सिलिंग हेतु नवीन कोटे के विकल्प का आन-लाईन आवेदन फॉर्म भरते हुये चयन करना होगा। तदपश्चात वे आन-लाईन आवेदन फॉर्म भर, वाछित सूचना भर कर नवीन च्वाइस फिलींग करते हुये तृतीय चरण काउन्सिलिंग में प्रतिभाग कर सकते हैं। ऐसी दशा में यदि अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में जमा की गयी धरोहर राशि ज्यादा है तो उन्हें कोई अतिरिक्त धरोहर धनराशि जमा नहीं करनी होगी, परन्तु यदि अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में जमा की गयी धरोहर राशि कम (न्यून) है तो उन्हें उस चयनित कोटे हेतु निर्धारित सम्पूर्ण धरोहर धनराशि को दोबारा जमा करना होगा। इस दशा में अभ्यर्थी द्वारा अतिरिक्त (पूर्व में जमा) जमा की गयी धरोहर राशि समस्त चरणों की काउन्सिलिंग प्रक्रिया के समाप्त होने के एक माह पश्चात अभ्यर्थी द्वारा आन-लाईन आवेदन फॉर्म में भरे गये बैंक खाते में विश्वविद्यालय द्वारा ऑन-लाईन आधार पर वापस की जायेगी।

4. तृतीय चरण काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु प्रत्येक इच्छुक अर्ह अभ्यर्थियों को निर्धारित समयावधि में **पंजीकरण करने के उपरान्त आन-लाईन आवेदन फॉर्म को भरते हुये समस्त वाछित सूचना भर कर नवीन च्वाइस फिलींग (New Choice Submitt) करना अनिवार्य होगा।** अन्यथा की दशा में वे तृतीय चरण काउन्सिलिंग में काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा सीट आवंटन हेतु अर्ह **नहीं** माने जायेंगे। पूर्व के चरणों में अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी च्वाइस फिलींग स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी। अतः तृतीय चरण काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु प्रत्येक इच्छुक अर्ह अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे तृतीय चरण हेतु निर्धारित समयावधि में उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया को अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लें।
5. यदि कोई इच्छुक एवं अर्ह अभ्यर्थी आन-लाईन आवेदन प्रपत्र में भरी गयी किसी सूचना तथा तृतीय चरण हेतु भरी गयी च्वाइस फिलींग में कोई भी परिवर्तन (संशोधन) करना चाहता है, तो अभ्यर्थी को तृतीय काउन्सिलिंग चरण हेतु पंजीकरण की निर्धारित तिथियों के दौरान ही, संशोधन हेतु रुपया—**500/- (रुपया पाच सौ)** Online माध्यम से संशोधन पंजीकरण शुल्क के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार का संशोधन (केवल च्वाइस फिलींग एवं अभिलेख अपलोड) करने हेतु, अभ्यर्थी को प्रत्येक बार रुपया 500/- (रुपया पाच सौ) देकर पंजीकरण की निर्धारित तिथियों के दौरान ही पूर्ण रूप से भरना होगा। प्रत्येक संशोधन के पश्चात पूर्व में किया गया आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार के संशोधन के लिये आवेदन ई-मेल/दूरभाष के माध्यम से स्वीकार नहीं किया जायेगा।
6. अभ्यर्थी द्वारा सम्पूर्ण रूप से आवेदन फॉर्म भरने के उपरान्त उसका प्रिन्ट आउट निकाल कर अपने पास अनिवार्य रूप से सुरक्षित रखना होगा। भविष्य में आवेदन के सन्दर्भ में किसी भी पृच्छा/जानकारी अथवा प्रकरण का निस्तारण इस आवेदन फॉर्म के प्रिन्ट आउट के आधार पर ही काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा किया जायेगा।
7. अभ्यर्थी द्वारा ऑन-लाईन आवेदन फॉर्म में च्वाइस भरने के उपरान्त उन्हें सर्वप्रथम SAVE किया जाना होगा। यदि अभ्यर्थी चाहें तो काउन्सिलिंग समय सारणी द्वारा पंजीकरण हेतु निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत उसमें परिवर्तन कर सकता है। तदपश्चात अभ्यर्थी को इन SAVE की गयी च्वाइस को SUBMITT किया जाना होगा। परन्तु च्वाइस SUBMITT करने के उपरान्त अभ्यर्थी इनमें केवल निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत संशोधन शुल्क जमा (बिन्दु 05 के अनुसार) करने के उपरान्त ही परिवर्तन कर सकता है।
8. यदि ऑन-लाईन आवेदन फॉर्म भरते समय अभ्यर्थी द्वारा च्वाइस फिलींग को SAVE करने के उपरान्त SUBMITT नहीं किया जाता है, तो अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी च्वाइस को ऑन-लाईन प्रणाली द्वारा निर्धारित समयावधि उपरान्त स्वतः ही SUBMITT कर दिया जायेगा तथा यह माना/समझा जायेगा कि अभ्यर्थी द्वारा सीट आवंटन हेतु यही च्वाइस भरी गयी है। परन्तु यदि ऑन-लाईन आवेदन फॉर्म भरते समय अभ्यर्थी द्वारा च्वाइस फिलींग को SAVE भी नहीं किया जाता है, तो अभ्यर्थी को तृतीय चरण सीट आवंटन हेतु अर्ह नहीं माना जायेगा। अतः अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित समयावधि अन्तर्गत अपनी भरी गयी च्वाइस को SAVE तथा SUBMITT कर लें।
9. अभ्यर्थी ऑन-लाईन आवेदन फॉर्म भरते समय चयनित कोटे (राज्य कोटा/ऑल इण्डिया ओपन कोटा) के आधार पर चयन हेतु उपलब्ध समस्त सीटों में से अपनी च्वाइस के अनुसार प्राथमिकता के क्रम में जितनी भी चाहे सीटों का विकल्प चयन कर सकते हैं। सीट मैट्रिक्स में दर्शायी गयी उपलब्ध संबंधित श्रेणी/उपश्रेणी की सीटों की संख्या में संबंधित श्रेणी/उपश्रेणी में इच्छुक अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध न होने

की दशा में नियमानुसार सीट परिवर्तन (conversion) इत्यादि कारणों के फलस्वरूप परिवर्तन हो सकता है। अतः अभ्यर्थियों को पुनः सलाह दी जाती है कि वे आन-लाईन आवेदन फॉर्म भरते समय चयनित कोटे (राज्य कोटा/ऑल इण्डिया ओपन कोटा) के आधार पर चयन हेतु उपलब्ध समस्त सीटों में से अपनी च्वाइस के अनुसार प्राथमिकता के क्रम में जितनी भी चाहे सीटों का विकल्प चयन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों हेतु काउन्सिलिंग में सम्मिलित प्रत्येक संस्थान का संबंधित कॉलेज द्वारा उपलब्ध विस्तृत शुल्क विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट के पृथक लिंक पर अपलोड किया गया है। अतः अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे सीटों का विकल्प चयन करने से पूर्व संबंधित कॉलेज के शुल्क, बॉण्ड संबंधी नियम, सीटों की मान्यता की स्थिति आदि के बारे में संबंधित संस्थान से सम्पर्क स्थापित कर सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें। छात्र द्वारा चयन किये संस्थान/ सीट/पाठ्यक्रम के विकल्प हेतु वह स्वयं उत्तरदायी होगा, विश्वविद्यालय/काउन्सिलिंग बोर्ड का कोई भी उत्तरदायित्व नहीं होगा।

10. तृतीय चरण में काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा सीट आवंटन उपरोक्तानुसार निर्धारित नियम/प्रक्रियानुसार पंजीकृत हुये अभ्यर्थियों को उनकी मैरिट, अर्हता एवं भरी गयी च्वाइस (विकल्प) के आधार पर किया जायेगा।
11. ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा प्रथम चरण काउन्सिलिंग में अपनी सीट **FREEZE** कर सीट सुरक्षित कर ली है और तृतीय चरण काउन्सिलिंग के दौरान अपनी प्रवेशित सीट छोड़ता है तो ऐसे अभ्यर्थी तृतीय चरण काउन्सिलिंग में पुनः प्रतिभाग नहीं कर पायेगे, किन्तु स्ट्रे चरण काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने का अधिकार होगा।
12. ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा प्रथम/द्वितीय चरण काउन्सिलिंग में अपनी सीट **FLOAT** कर तृतीय चरण काउन्सिलिंग में अपग्रेडेशन चाहता है तो नवीन च्वाइस भर कर अपग्रेडेशन कर सकता है। किन्तु तृतीय चरण काउन्सिलिंग के दौरान अपनी **FLOAT** सीट छोड़ता है तो ऐसे अभ्यर्थी तृतीय चरण काउन्सिलिंग में पुनः प्रतिभाग नहीं कर पायेगे, किन्तु स्ट्रे चरण काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने का अधिकार होगा।
13. ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा द्वितीय चरण काउन्सिलिंग में **FREEZE** का विकल्प का चयन किया गयौ और निर्धारित समयान्तर्गत प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण नहीं की है तो उनकी सीट निरस्त हो जायेगी किन्तु वे अभ्यर्थी तृतीय चरण काउन्सिलिंग में प्रतिभाग कर सकते हैं।
14. ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा प्रथम/द्वितीय चरण काउन्सिलिंग में अपनी सीट **FLOAT** कर तृतीय चरण काउन्सिलिंग में अपग्रेडेशन चाहता है तो नवीन च्वाइस भर कर अपग्रेडेशन कर सकता है। किन्तु तृतीय चरण काउन्सिलिंग अभ्यर्थी की सीट अपग्रेड नहीं होती है तो ऐसे अभ्यर्थी अपनी पुरानी सीट को अनिवार्य रूप से Freeze करेंगे अथवा सीट सरेडर कराना होगा।
15. ऐसे अभ्यर्थी जो तृतीय चरण काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करना चाहते हैं एवं आरक्षण का लाभ लेते हैं उनके निवास प्रमाण पत्र, श्रेणी/उपश्रेणी प्रमाण पत्र आन-लाईन आवेदन की अन्तिम तिथि से पूर्व जारी होने अनिवार्य है। तृतीय चरण काउन्सिलिंग की आन-लाईन आवेदन की अन्तिम तिथि के बाद निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।
16. ऐसे अभ्यर्थी जिनको तृतीय चरण काउन्सिलिंग में उनकी मैरिट एवं चयनित विकल्प के आधार पर संस्थान आवंटित होता है, वे सभी अभ्यर्थी अपने शैक्षिक एवं मूल अभिलेख अपलोड/सत्यापन कराये जाने की कार्यवाही काउन्सिलिंग पोर्टल पर प्रवेश की अन्तिम तिथि से एक दिन पूर्व ही पूर्ण करेंगे एवं अन्तिम तिथि को प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण करेंगे।

4. संस्थानवार सीट मैट्रिक्स

1. संस्थानवार सीटों का कोटेवार (राज्य कोटा/ ऑल-इण्डिया-ओपन कोटा एवं एन0आर0आई0 कोटा) सीट मैट्रिक्स विश्वविद्यालय की वेबसाइट के पृथक लिंक पर उपलब्ध है। सीट मैट्रिक्स को प्रवेशित छात्र-छात्राओं द्वारा सीट छोड़े जाने के फलस्वरूप समय-समय पर अपडेट किया जाता रहेगा।

2. तृतीय चरण की काउन्सिलिंग में संस्थानवार सीटों को विवरणिका में दिये गये नियमानुसार परिवर्तित किया जायेगा, इसके आधार पर ही अंतिम आवंटन प्रकाशित किया जायेगा।

5. शुल्क विवरण

काउन्सिलिंग में सम्मिलित प्रत्येक संस्थान का संबंधित कॉलेज द्वारा उपलब्ध विस्तृत शुल्क विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट के पृथक लिंक पर अपलोड किया गया है।

6. सीट अपग्रेडेशन

1. प्रथम/द्वितीय चरण में प्रवेशित छात्र (जिसके द्वारा बोर्ड द्वारा आवंटित सीट पर निर्धारित समयान्तर्गत प्रवेश ले लिया गया है) को तृतीय चरण में नियमानुसार सीट अपग्रेडेशन का अधिकार होगा।
2. तृतीय चरण की काउन्सिलिंग में सीट अपग्रेडेशन होने की दशा में अभ्यर्थी का पूर्व प्रवेशित सीट पर कोई अधिकार नहीं रहेगा, प्रत्येक दशा में यह सीट रिक्त करनी होगी। अभ्यर्थी द्वारा प्रथम/द्वितीय चरण में प्रवेशित छोड़ी गयी (अपग्रेडेशन के कारण) इस रिक्त हुयी सीट को वरीयता सूची के क्रम में अगले अर्ह इच्छुक अभ्यर्थी को बोर्ड द्वारा नियमानुसार आवंटित कर दिया जायेगा।
3. प्रथम/द्वितीय चरण काउन्सिलिंग में जिन अभ्यर्थियों द्वारा FLOAT का विकल्प चयन किया एवं तृतीय चरण काउन्सिलिंग में अभ्यर्थी च्वाइस नहीं भरता है तो प्रथम चरण में फ्लोट की गयी सीट/संस्थान यथावत रहेगा, किन्तु इस चरण की काउन्सिलिंग में अभ्यर्थी को अपनी सीट को Freeze करना अनिवार्य होगा।
4. प्रथम/द्वितीय चरण काउन्सिलिंग में जिन अभ्यर्थियों द्वारा FLOAT का विकल्प चयन किया वे तृतीय चरण की काउन्सिलिंग में प्रतिभाग नहीं करते तो उन्हें आवंटित सीट निरस्त हो जायेगी।

7. प्रवेशित सीट को छोड़ने (Seat Surrender/Withdrawn/Vacate) संबंधी नियम

1. नीट यू0जी0 2026 उत्तराखण्ड राज्य केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग के प्रथम/द्वितीय चरण के माध्यम से विभिन्न संस्थानों में FREEZE एवं FLOAT छात्र-छात्राओं को **विलम्बतम दिनांक 05.10.2026 सायं 05:00 बजे तक (केवल निर्धारित प्रक्रियानुसार ही)** धरोहर राशि जब्त कराते हुये सीट छोड़ने (Seat Surrender/Withdrawn/Vacate) की अनुमति होगी। **सीट छोड़ने (Seat Surrender/Withdrawn/Vacate) हेतु निर्धारित प्रक्रिया संबंधी सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट के पृथक लिंक पर उपलब्ध है।**
2. उक्त तिथि व समय के उपरान्त किसी भी प्रवेशित अभ्यर्थी को सीट छोड़ने की अनुमति **नहीं** होगी। अतः अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि यदि वे अपनी प्रथम/द्वितीय चरण में FREEZE/ FLOAT सीट को छोड़ना चाहते हैं तो उसे निर्धारित तिथि **विलम्बतम दिनांक 05. 10.2026 सायं 05:00 बजे तक** छोड़ दें।
3. तृतीय चरण में बोर्ड द्वारा आवंटित सीट पर यदि कोई अभ्यर्थी प्रवेश नहीं लेता है तो उसके द्वारा जमा धरोहर धनराशि को भारत सरकार/एन0एम0सी/एम0सी0आई0 द्वारा निर्धारित मानकानुसार हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार जब्त (forfiet) कर लिया जायेगा। ऐसे छात्र नियमानुसार नवीन पंजीकरण तथा धरोहर धनराशि जमा कर आगामी काउन्सिलिंग चरणों (यदि कोई हो) में प्रतिभाग कर सकते हैं।
4. तृतीय चरण में आवंटित सीट पर यदि कोई अभ्यर्थी प्रवेश ले लेता है तो उसे प्रवेशित सीट को छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
5. अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे सीटों का विकल्प चयन करने से पूर्व संबंधित कॉलेज के शुल्क, बॉण्ड संबंधी नियम, सीटों की मान्यता की स्थिति आदि के बारे में संबंधित संस्थान से सम्पर्क स्थापित कर सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें। छात्र द्वारा चयन किये संस्थान/सीट/पाठ्यक्रम के विकल्प हेतु वह स्वयं उत्तरदायी होगा, विश्वविद्यालय/काउन्सिलिंग बोर्ड का कोई भी उत्तरदायित्व नहीं होगा।

8 आरक्षण

1. तृतीय चरण काउन्सिलिंग में पंजीकृत हुये अर्ह अभ्यर्थियों को राज्यकोटे की उपलब्ध सीटों में विभिन्न श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण (उर्ध्व एवं क्षैतिज) उत्तराखण्ड राज्य की काउंसिलिंग की तिथि को प्रचलित/स्थापित नीति एवं निर्णयों के अनुसार अनुमन्य होगा।
2. किसी भी प्रकार के श्रेणी/उपश्रेणी का लाभ केवल उत्तराखण्ड राज्य के मूल/स्थाई निवासी को ही अनुमन्य होगा। इस हेतु अभ्यर्थी को संबंधित आरक्षण श्रेणी/उपश्रेणी लाभ प्राप्त करने के लिये उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार केवल उत्तराखण्ड शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत, काउन्सिलिंग एवं प्रवेश की तिथि को मान्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत/अपलोड करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की दशा में उसे सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। संबंधित आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी का केवल अभ्यर्थी के पक्ष/नाम पर निर्गत प्रमाण ही मान्य होगा।
3. ओ0बी0सी0 जाति का प्रमाण पत्र काउन्सिलिंग एवं संस्थान में प्रवेश की तिथि तक मान्य/वैध (valid) होना चाहिए। शासनादेश संख्या 310/XVII-2/16-02 (ओ0बी0सी0)/2012 दिनांक 21.02.2016 के अनुसार ओ0बी0सी0 जाति का प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से केवल तीन वर्ष तक ही वैध (valid) होता है। अतः ओ0बी0सी0 श्रेणी के अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने जाति प्रमाण पत्र की मान्यता/वैधता (validity) को भली-भांति जांच लें। अमान्य (invalid) ओ0बी0सी0 जाति प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किये जाएंगे।
4. शासनादेश संख्या 570/कार्मिक-2/2004 दिनांक 22 मई, 2004 के क्रम में उपश्रेणी (DPW) हेतु आरक्षित सीटों का लाभ उत्तराखण्ड के निवासी केवल भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए तथा युद्ध में शहीद सैनिकों के पुत्र एवं पुत्रियों को ही अनुमन्य होगा। वर्तमान में सेना (थल, वायु एवं जल सेना) में कार्यरत सैनिकों के आश्रितों को उक्त उप श्रेणी के अन्तर्गत आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा तथा पैरामिलिट्री Paramilitary Forces के आश्रितों को उक्त उप श्रेणी के अन्तर्गत आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
5. आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 123/XXX(2)/2020-30(1)/2020 दिनांक 29 अप्रैल, 2020 तथा विधायी एवं ससंदीय कार्यविभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 64/XXXVI(3)/2020/20(1)/2020 दिनांक 07 मार्च 2020 पर निर्धारित नियम/शर्तों/प्रतिबन्धों के आधार पर ही दिया जायेगा। इस हेतु अभ्यर्थी के पक्ष में उत्तराखण्ड सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत नवीनतम प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
6. दिव्यांग अभ्यर्थियों को केवल राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा नामित मेडिकल बोर्ड से निर्धारित प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों को किसी भी स्पष्टीकरण के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा अयोग नामित मेडिकल बोर्ड से प्राप्त कर सकते हैं।
7. किसी आरक्षित श्रेणी एवं उप श्रेणी का अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में सीट रिक्त रहने/होने पर ऐसी सीटों को तृतीय चरण की काउंसिलिंग में नियमानुसार परिवर्तित (convert) कर भरा जायेगा।
8. काउंसिलिंग की प्रक्रिया के दौरान यदि यह पाया जाता है कि किसी अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड एवं उसके साथ किसी अन्य राज्य का श्रेणी/उपश्रेणी प्रमाण पत्र उपलब्ध है तो ऐसे अभ्यर्थी को सीट आवंटन शासनादेश संख्या 152215/XXVIII(5)/2026(E)14483 दिनांक 06 सितम्बर 2023 के अधीन किया जायेगा।

9. प्रवेश प्रक्रिया

1. तृतीय चरण में बोर्ड द्वारा आवंटित सीटों पर निर्धारित समायन्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने संबंधी विस्तृत जानकारी तृतीय चरण की काउन्सिलिंग के सीट आवंटन सूची निर्गत होने के उपरांत विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर छात्रों हेतु पृथक से अपलोड की जायेगी।
2. आवंटित सीट पर प्रवेश सुरक्षित करने हेतु संबंधित छात्र को आवंटित संस्थान में व्यक्तिगत रुप में उपस्थित होकर अपने समस्त वांछित अभिलेख (मूल में) प्रस्तुत एवं जमा करने अनिवार्य होंगे, अन्यथा की दशा में वे प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होंगे। एक बार प्रवेश लेने के उपरान्त अभ्यर्थियों को प्रवेशित सीट को बोर्ड द्वारा निर्धारित तिथि तक छोड़ने की अनुमति होगी।

10. विविध

1. स्ट्रे चरण की काउन्सिलिंग यदि कोई हो की विस्तृत सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर पृथक से अपलोड की जायेगी, जिसके लिए पूर्णतया नवीन पंजीकरण कराये जायेंगे। स्ट्रे चरण की काउंसिलिंग में आवंटित सीट पर यदि कोई अभ्यर्थी प्रवेश नहीं लेता है तो मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार/एम0सी0सी0 के निर्देशों के क्रम में ऐसे अभ्यर्थी को नीट यू0जी0 प्रवेश परीक्षा से एक वर्ष हेतु प्रतिवारित कर दिया जायेगा तथा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
2. विस्तृत जानकारी हेतु नीट यू0जी0 2026 उत्तराखण्ड राज्य केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग हेतु प्रकाशित **Information Bulletin** का पुनः अध्ययन कर लें।
3. काउन्सिलिंग समय-सारणी में परिवर्तन का अधिकार काउन्सिलिंग बोर्ड के पास सुरक्षित रहेगा। भारत सरकार/एन0टी0ए0/एम0सी0सी0/एन0एम0सी0/डी0सी0आई0/मा0 न्यायालय के निर्देशानुसार इस काउन्सिलिंग समय-सारणी में परिवर्तन किया जा सकता है जिसे विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जायेगा।
4. काउन्सिलिंग हेतु कोई भी सूचना/जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.hnbumu.ac.in पर ही अपलोड की जायेगी। अतः काउन्सिलिंग की अद्यतन सूचना/जानकारी प्राप्त करने हेतु समय-समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाईट का अवलोकन करते रहें।

नोटिस प्रकाशन तिथि:- 29.09.2026

सदस्य सचिव
नीट यू0जी0 2026
उत्तराखण्ड राज्य केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग

